- नलकूप खनन/नलकूप पर पंप स्थापना (क्लिक करें)
- सुरजधारा योजना (क्लिक करें)
- अन्नपूर्णा योजना (क्लिक करें)
- समन्वित उर्वरकों का उपयोग (क्लिक करें)
- राष्ट्रीय बायोगैस परियोजना (क्लिक करें)
- आइसोपाम (मक्का एवं तिलहन विकास योजना) (क्लिक करें)
- एकीकृत अनाज विकास कार्यक्रम (क्लिक करें)
- सतत् गन्ना विकास (क्लिक करें)
- राष्ट्रीय जलग्रहण क्षेत्र विकास परियोजना (क्लिक करें)
- मापवा परियोजना (क्लिक करें)
- बलराम ताल योजना (क्लिक करें)
- बीज ग्राम योजना (क्लिक करें)
- बैलगाड़ी योजना (क्लिक करें)
- कृषि यंत्रीकरण (क्लिक करें)
- कृषि विस्तार सुधार कार्यक्रम (क्लिक करें)
- राष्ट्रीय खाद सुरक्षा मिशन (क्लिक करें)
- हलधर योजना (क्लिक करें)
- राष्ट्रीय कृशि विकास योजना (क्लिक करें)
- मुख्यमंत्री कृशक जीवन कल्याण योजना (क्लिक करें)

uydwi [kuu@uydwi ij iai LFkkiuk

;kstuk dk uke &

नलकूप खनन/नलकूप पर पंप स्थापना

;kstuk dk Lo:i &

शासन द्वारा अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति के कृषकों के लिये सहायता योजना।

ik=rk dh 'krsZ &

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति के सभी श्रेणी के कृषकों को अनुदान की पात्रता है।

;kstuk ds rgr ns; ykHk &

सफल/ असफल नलकूप खनन पर पात्रता अनुसार लागत का 75 प्रतिशत अधिकतम रू. 15,000 जो भी कम हो अनुदान देय होगा। सफल नलकूप पर विद्युत पंप स्थापना हेतु लागत का 75 प्रतिशत अधिकतम रू. 9,000 जो भी कम हो अनुदान देय होगा। कृषक अपनी इच्छानुसार किसी भी संस्था अथवा ठेकेदार से खनन कार्य करा सकते है।

;kstuk gsrq vkosnu dk rjhdk ,oa vko';d nLrkost &

निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र, के साथ जाति प्रमाणपत्र (सरपच), बी–1, नक्शा, खसरा, भू–जल सर्वेक्षण रिपोर्ट (भूजल विद से), विद्युत प्रदाय हेतु सहमति पत्र विद्युत मंडल का प्रमाणपत्र।

vkosnu fdlls izLrqr djuk gS &

ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी/वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी (संबंधित विकासखंड से)

xr o"kZ & bl o"kZ dk y{; &

42 (संख्या) – 67 (संख्या)

आवेदन पत्र के लिए यहॉ क्लिक करें ।

¼ Mh.ds- ik.Ms; ½
mi lapkyd d`f"k] fdlku dY;k.k rFkk d`f"k fodkl foHkkx flouh

lwjt/kkjk ;kstuk

;kstuk dk Lo:i &

योजनान्तर्गत बीज अदला बदली, बीज स्वावलंबन एवं बीज उत्पादन के घटको के तहत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के लघु/सीमांत कृषकों को उन्नत दलहन, तिलहन फसल के लिये सहायता योजना।

ik=rk dh 'krsZ &

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के लघु/सीमांत कृषकों के लिये।

;kstuk ds rgr ns; ykHk &

1. बीज की अदला–बदली– पात्र कृषकों को प्रदाय बीज के लागत का 75 प्रतिशत अधिकतम रू 1500/–अनुदान (1 हेक्टर सीमा तक)।
2. बीज स्वावलंबन– कृषक की धारिता कृषि भूमि के 0.100 हेक्टेयर के लिये आधार/प्रमाणित बीज 75 प्रतिशत अनुदान पर प्रदाय।
3. बीज उत्पादन– तिलहनी/दलहनी फसलों के उन्नत किस्मों के बीज उत्पादन के लिये चुने गये जिले के शासकीय प्रक्षेत्रों के 10 किलोमीटर परिधि में पात्र कृषकों के खेतों पर (कम से कम आधा एकड. एवं अधिकतम एक हेक्ट.) बीज कार्यक्रम लिया जाएगा। कृषक को आधार / प्रमाणित–1 श्रेणी का बीज 75 प्रतिशत अनुदान पर प्रदाय किया जाता है।

;kstuk grq vkosnu dk rjhdk ,oa mlds vko';d nLrkost &

प्राप्त लक्ष्यानुसार ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा कृषको के नामो की सूची तैयार कर व.कृ. वि.अ. को प्रस्तुत करेगें तथा व.कृ.वि.अ. प्राप्त प्राथमिक सूची का अनुमोदन जनपद पंचायत की कृषि स्थायी समिति से अनुमोदन करायेगे। इस सूची में पहले लिखे नामो को वरियता दी जावेगी।

xro"kZ & bl o"kZ dk y{; &

700 हे. – 700 हेक्ट.

¼ Mh.ds- ik.Ms; ½

vUuiw.kkZ ;kstuk

;kstuk dk Lo:i &

योजनान्तर्गत बीज अदला बदली, बीज स्वावलंबन एवं बीज उत्पादन के घटको के तहत कृषको के लिये सहायता योजना।

ik=rk dh 'krsZ &

अनुसूचित जाति/जनजाति के लघु सीमांत कृषको के लिये खाद्यान फसलो के लिये सहायता योजना।

;kstuk ds rgr ns; ykHk &

1 बीज की अदला–बदली– कृषकों को प्रदाय बीज के लागत का 75 प्रतिशत अधिकतम 1500/–रू. अनुदान (1 हेक्टर सीमा तक)।

2 बीज स्वावलंबन–कृषक की धारित कृषि भूमि के 0.100 हेक्टेयर के लिये आधार/प्रमाणित बीज 75 प्रतिशत अनुदान पर प्रदाय ।

3 बीज उत्पादन– शासकीय कृषि प्रक्षेत्रों के 10 किलोमीटर परिधि में पात्र कृषको के लिये अनुसूचित जाति/जनजाति के लघु एवं सीमांत कृषकों के खेतों पर (कम से कम आधा एकड. क्षेत्र) में बीज उत्पादन कार्यक्रम लिया जाता है। कृषक को आधार प्रमाणित –1 श्रेणी का बीज 75 प्रतिशत अनुदान पर प्रदाय ।

4 योजना हेतु आवेदन का तरीका एवं उसके आवश्यक दस्तावेज – प्राप्त लक्ष्यानुसार ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा कृषको के नामो की सूची तैयार कर व.कृ.वि.अ. को प्रस्तुत करेगें तथा व.कृ.वि.अ. प्राप्त प्राथमिक सूची का अनुमोदन जनपद पंचायत की कृषि स्थायी समिति से अनुमोदन करायेगे। इस सूची में पहले लिखे नामो को वरियता दी जावेगी।

xro"kZ & bl o"kZ dk y{; &

600 हे. – 812 हेक्ट.

¼ Mh.ds- ik.Ms; ½

mi lapkyd d`f"k] fdlku dY;k.k rFkk d`f"k fodkl foHkkx flouh

समन्वित उर्वरक का उपयोग (I.N.M.)

योजना का स्वरूप –

प्राकृतिक संतुलन बनाये रखने भूमि जल एवं वायु को प्रदूषण से बचाने तथा दीर्घकाल तक उत्पादन प्राप्त करने के उद्देश्य से यह योजना प्रारंभ की गयी है।

पात्रता की शर्ते –

सभी वर्ग के कृषकों को नील हरित काई, हरी खाद एवं वर्मीकम्पोस्ट निर्माण हेतु सहायता योजना।

योजना के तहत देय लाभ –

नील हरित काई – 25ः अथवा रू. 1000 प्रति क्विंटल, जो भी कम हो।

हरी खाद – कीमत का 25ः अथवा रू. 500 प्रति क्विंटल, जो भी कम हो। (फसल–सन, ढेंचा),

वर्मी कम्पोस्ट – प्रति इकाई/प्रति कृषक लागत का 25ः अथवा रू. 1000 जो भी कम हो।

योजना हेतु आवेदन का तरीका एवं उसके आवश्यक दस्तावेज –

निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र।

आवेदन किसे प्रस्तुत करना है –

ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी/वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी (संबंधित विकासखंड)।

गतवर्ष – इस वर्ष का लक्ष्य –

243 सं. – निरंक

आवेदन पत्र के लिए यहाँ क्लिक करें ।

(डी.के. पाण्डेय)

उप संचालक कृषि, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग सिवनी

jk"Vh; ck;kxl ifj;ktuk

;ktuk dk Lo:i &

केन्द्र शासन द्वारा हितग्राहियों को 1 से 4 घन मीटर तक के निर्मित बायोगैस संयंत्रों हेतु सहायता योजना

ik=rk dh 'krs &

कृषकों के यहां उपलब्ध पशुओं की संख्या अनुसार बायोगैस का आकार 1 से 10 घन मीटर तक निर्मित किये जाते है।

;ktuk d rgr n; ykHk &

केंद्र शासन द्वारा हितग्राहियों को 1 से 4 घन मीटर क्षमता के संयंत्र के निर्माण पर निम्नानुसार अनुदान देय है :–

अ. 1 धन मीटर बायोगैस संयंत्र निर्माण हेतु रू. 3600 प्रति संयंत्र अनुदान।

ब. 2 धन मीटर बायोगैस संयंत्र निर्माण हेतु रू. 4825 प्रति संयंत्र अनुदान।

स. 3 धन मीटर बायोगैस संयंत्र निर्माण हेतु रू. 5800 प्रति संयंत्र अनुदान।

द. 4 धन मीटर बायोगैस संयंत्र निर्माण हेतु रू. 6925 प्रति संयंत्र अनुदान।

समस्त श्रेणी के कृषकों को राज्य शासन द्वारा 2500 रू. का टॉपअप अनुदान देय हैं।

;ktuk gr vkonu dk rjhdk ,o mld vko';d nLrkot &

बायोगैस के निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत कर सकते है।

vkonu fdl iLrr djuk g &

ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी/वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी (संबंधित विकासखंड)।

xro"k & bl o"k dk y{; &

810 सं. – 810 सं.

आवेदन पत्र के लिए यहॉ क्लिक करें ।

¼ Mh.d- ik.M; ½

mi lpkyd df"k] fdlku dY;k.k rFkk df"k fodkl foHkkx flouh

vkblkiike ¼eDdk ,o frygu fodkl ;kstuk½

ik=rk dh 'krs &

सभी श्रेणी के कृषको को विभिन्न घटकों में अनुदान सहायता।

;kstuk dk Lo:i &

तिलहन एवं मक्का फसलों में उत्पादन एवं उत्पादकता वृद्धि के उद्देश्य से शासन द्वारा यह योजना प्रारंभ की गयी है।

;kstuk ds rgr ns; ykHk &

जिले में प्राप्त लक्ष्य के अनुरूप कृषकों का चयन किया जाता है।

प्रजनक बीज खरीदी –	भारत सरकार द्वारा विभिन्न फसलों के प्रजनक बीज की निर्धारित दर पर खरीद का शत प्रतिशत अनुदान ।
बीज उत्पादन–	
अ. आधार बीजउत्पादन –	मक्का फसल हेतु 1000/–तथा तिलहन में 300/–प्रति क्विं. की दर से अनुदान।
ब. प्रमाणित बीज उत्पादन –	मक्का फसल हेतु रू. 1000 प्रति क्विंटल अनुदान तथा तिलहन में 300/–प्रति क्विं. की दर से अनुदान।
बीज वितरण –	
अ. प्रमाणित बीज वितरण –	मक्का में रू. 1200 प्रति क्विंटल अनुदान या कीमत का 50 प्रतिशत जो भी कम हो। सोयाबीन फसल में सामान्य कृषकों को 500 रू. एवं अ.जा./अ.ज.जा. कृषको को 800/–क्विं. अधिकतम अनुदान देय है।
पौध संरक्षण यंत्र –	
अ. हस्त चलित –	कीमत का 50 प्रतिशत या रू. 800 प्रति यंत्र, जो भी कम हो ।
ब. शक्ति चलित –	कीमत का 50 प्रतिशत या रू. 2000 प्रति यंत्र, जो भी कम हो ।
आई.पी.एम. प्रदर्शन –	मूंगफली : ट्राईकोडर्मा, क्राईसोपर्ला, एन. पी. व्ही.–एस.एल. ट्रेप+ल्योर, नीम 1500 पी.पी.एम., एन.पी.व्ही.एस. एल. ल्योर, बी.टी. पर अधिकतम रू. 1627.50 प्रति हैक्टर । सोयाबीनःट्राईकोडर्मा, एन.पी.व्ही.–एस.एल. ट्रेप+ल्योर, नीम 1500 पी. पी.एम.,ल्योर पर अधिकतम रू.428 प्रति हे.। सरसों : ट्राईकोडर्मा, नीम 1500 पी.पी.एम., क्राईसोपर्ला अधिकतम राशि रू. 930 प्रति हैक्टर । मक्का : ट्राइकोडर्मा, क्राईसोपर्ला बी.टी. राशि रू. 1480 हैक्टर ।
नींदानाशक दवा –	कीमत का 50 प्रतिशत या रू. 500 प्रति हैक्टर, जो भी कम हो ।
जिप्सम/पायराइट –	कीमत का 50 प्रतिशत या 750 रू. प्रति हैक्टर, जो भी कम हो ।
स्प्रिंकलर सेट वितरण–	कीमत का 50 प्रतिशत या रू. 7500 प्रति सेट, जो भी कम हो एवं समस्त कृषको को टापअप अनुदान 30ः या अधिकतम 4500/– रूपये अतिरिक्त देय है।
पाइपलाइन वितरण–	अ. कीमत का 50 प्रतिशत या रू. 15000 प्रति सेट, जो भी कम हो ।
रैनगन–	कीमत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 6000/– प्रति सेट जो भी कम हो एवं सभी कृषकों को टापअप अनुदान 30 प्रतिशत या अधिकतम 3600/–रू. जो भी कम हो देय है।

;kstuk grs vkosnu dk rjhdk ,oa mlds vko';d nLrkost &

अ. स्प्रिंकलर, पाइपलाईन, रैनगन के साथ बी–1, खसरा, नक्शा, संस्था का कोटेशन।

ब. पौध संरक्षण यंत्र क्रय हेतु निर्धारित आवेदन पत्र

¼ Mh.ds- ik.Ms; ½

mi lapkyd d`f"k] fdlku dY;k.k rFkk d`f"k fodkl foHkkx flouh

vkonu fdlls iLrqr djuk gS &

ग्रा0 कृषि वि0 अधि0 / वरि0 कृ0 विकास अधिकारी (संबंधित विकासखंड)।

xro"kZ & bl o"kZ dk y{; &

क्र.	विवरण	इकाई	लक्ष्य गतवर्ष	लक्ष्य इसवर्ष
1	स्प्रिंकलर	संख्या	73	55
2	पाइपलाइन	संख्या	84	55
3	रैनगन	संख्या	10	15
4	पौध संरक्षण यंत्र	संख्या	249	123

आवेदन पत्र के लिए यहॉ क्लिक करें ।

,dhd`r vukt fodkl dk;Øe ¼ekWVk vukt½

;kstuk dk Lo:i &

धान, मोटे अनाजों के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करने के उद्देश्य से शासन द्वारा यह योजना प्रारंभ की गयी है। इसमें सभी श्रेणी के कृषकों को अनुदान सहायता।

ik=rk dh 'krsa &

सभी श्रेणी के कृषको का चयन कर विभिन्न घटकों में 50 प्रतिशत अनुदान सहायता।

;kstuk ds rgr ns; ykHk &

उन्नत बीज वितरण	10 वर्ष के अंदर अधिसूचित उन्नत किस्मों के गेहूं, जौ, धान, ज्वार, बाजरा, कोदों, कुटकी, रागी बीज पर रू. 200 प्रति क्विंटल ।
प्रौद्योगिकी प्रदर्शन	अधिकतम रू. 2500 प्रति प्रदर्शन प्रति एकड. (0.400 हैक्टर)
धान की मेडागास्कर पद्धति का प्रदर्शन	प्रदर्शन के लिये रू. 3000 प्रति एकड. अनुदान ।
जैविक/रासायनिक पौध संरक्षण औषधि	50 प्रतिशत या 500/–रूपया प्रति हेक्टर जो भी कम हो।
हरबीसाइड	3000/–प्रति 0.4 हेक्टर
हायब्रिड धान बीज उत्पादन	1000 रू. या 50 प्रतिशत प्रति क्विंटल जो भी कम हो।
हायब्रिड धान बीज वितरण	50 प्रतिशत या 2000/–रूपया प्रति क्विंटल।
माइक्रोन्यूट्रेन्ट इन डिफिसेन्ट स्वाइल	50 प्रतिशत या 500/–रूपया प्रति हेक्टर।
फार्मस ट्रेनिंग एडं थ्थ्थ्ैण पैटर्न	17000/–रूपये प्रति प्रशिक्षण।

;kstuk grq vkosnu dk rjhdk ,oa mlds vko';d nLrkost &

कृषकों का चयन ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा किया जाकर सूची व.कृ.वि.अ. को प्रस्तुत की जाती है। (संबंधित विकासखंड)

xro"kZ & bl o"kZ dk y{; &

क्र.	विवरण	इकाई	लक्ष्य गतवर्ष	लक्ष्य इसवर्ष
1	बीज उत्पादन वितरण, हायब्रिड बीज उत्पादन	क्विं.	1282	–
2	प्रदर्शन	हेक्ट.	204	–
3	फार्म फील्ड स्कूल, वर्कशाप	सं.	7	–
4	बीजोपचार	हेक्ट.	1370	–

¼ Mh.ds- ik.Ms; ½
mi lapkyd df"k] fdlku dY;k.k rFkk df"k fodkl foHkkx flouh

lrr xUuk fodkl

;kstuk dk Lo:i &

गन्ना उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ावा देने हेतु सहायता योजना।

ik=rk dh 'krsZ &

सभी श्रेणी के कृषको।

;kstuk dh rgr ns; ykHk &

गन्ना प्रदर्शन अनुदान – प्रति प्रदर्शन 7500 रूपये।
गन्ना बीज प्रगुणन – उत्पादन लागत का 10 प्रतिशत अथवा रू. 2000 प्रति हे. जो भी कम हो।
कृषक प्रशिक्षण – 30 कृषकों के दो दिवसीय प्रशिक्षण पर रू. 10,000 प्रति प्रशिक्षण ।
ड्रिप सिंचाई – 30000/–रू. प्रति हेक्टेयर।
माइक्रोन्यूट्रियेंट – 1000/–प्रति हेक्टर।

;kstuk grq vkosnu dk rjhdk ,oa mlds vko';d nLrkost &

कृषकों का चयन ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा किया जाकर सूची व.कृ.वि.अ. को प्रस्तुत की जाती है। (संबंधित विकासखंड)

xro"kZ@bl o"kZ dk y{; &

क्र.	विवरण	इकाई	लक्ष्य गतवर्ष	लक्ष्य इसवर्ष
1	गन्ना प्रदर्शन, कृषक प्रशिक्षण	सं.	2	–
2	गन्ना बीज प्रगुर्णन, ड्रिप सिंचाई,	हेक्ट.	11	–
3	माइक्रोन्यूट्रियेंट	हेक्ट.	10	–

¼ Mh.d- ik.Ms; ½
mi lapkyd d`f"k] fdlku dY;k.k rFkk d`f"k fodkl foHkkx fluuh

jk"Vªh; tyxzg.k {ks= fodkl ifj;kstuk

;kstuk dk Lo:i &

प्रत्येक विकासखंड में अनुमानित 500 हे. वर्षा आधारित क्षेत्र के एक माइक्रो जलग्रहण क्षेत्र को चयन।

ik=rk dh 'krsZ &

इसकी सम्पूर्ण कृषि, अकृषि योग्य भूमि एवं जल निकास प्रणाली का उपचार वानस्पितिक उपायों द्वारा स्थानीय कृषकों एवं हितग्राहियों की सहभागिता से किया जाता है ।

;kstuk ds rgr ns; ykHk &

माइक्रो जलग्रहण क्षेत्र का चयन। इसकी सम्पूर्ण कृषि योग्य, अकृषि योग्य भूमि एवं जल निकास प्रणाली का उपचार वानस्पितिक उपायों द्वारा स्थानीय कृषकों एवं हितग्राहियों की सहभागिता से किया जा रहा है ।

;kstuk gsrq vkosnu dk rjhdk ,oa vko';d nLrkost &

सर्वेयर/कृषि विस्तार अधिकारी (भूमि संरक्षण) स्थल का चयन कर जलग्रहण प्रकरण तैयार करते है सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी द्वारा स्थान का निरीक्षण कर तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जाती तत्पश्चात् कार्य प्रारम्भ किया जाता है ।

xro"kZ & bl o"kZ dk y{; &

08 (संख्या) – निरंक

¼ Mh.ds- ik.Ms; ½

mi lapkyd d`f"k] fdlku dY;k.k rFkk d`f"k fodkl foHkkx flouh

ekiok ifj;kstuk

;kstuk dk Lo:i &

योजना के अन्तर्गत बैंचमार्क सर्वे, तकनीकी प्रि ाक्षण, अनुसरण भ्रमण, समूह गठन प्रि ाक्षण, भौक्षणिक भ्रमण, वि ोश प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास प्रि ाक्षण आयोजित किये जाते है।

ik=rk dh 'krsZ &

सभी वर्ग की लघु एवं सीमांत महिला कृषक।

;kstuk ds rgr nh; ykHk &

लघु एवं सीमांत महिला कृषकों को प्रि ाक्षित कर उनके जीवन स्तर में सुधार लाना।

;kstuk grq vkonu dk rjhdk ,oa vko';d nLrkost &

कृषकों का चयन ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा किया जाकर सूची व.कृ.वि.अ. को प्रस्तुत की जाती है (संबंधित विकासखंड)।

xro"kZ & bl o"kZ dk y{; &

131 (संख्या) – 34 (संख्या)

¼ Mh.ds- ik.Ms; ½

mi lapkyd d`f"k] fdlku dY;k.k rFkk d`f"k fodkl foHkkx flouh

cyjke rky ;kstuk

;kstuk dk Lo:i &

सुनिश्चित खेती के उद्देश्य से वर्षा के अप्रवाहित जल की अधिकतम मात्रा खेतों में रोक कर उससे सिंचाई करने के लिये कृषको को प्रोत्साहन।

ik=rk dh 'krs &

कृषकों का चयन प्रथम आये प्रथम पाये के आधार पर किया जाता है।

;kstuk dh rgr ns; ykHk &

अनूसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के कृषकों को वास्तविक व्यय का 80 प्रतिशत अथवा 1,00,000 रू. तथा शेष वर्ग के कृषकों को वास्तविक व्यय का 40 प्रतिशत या अधिकतम 80,000 रू. अनुदान की पात्रता है।

;kstuk gsrq vkosnu dk rjhdk ,oa vko';d nLrkost &

निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र, जाति प्रमाणपत्र (संरपच), बी–1, खसरा, नक्शा।

vkosnu fdls izLrqr djuk gS &

ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी/वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी (संबंधित विकासखंड)।

xro"kZ & bl o"kZ dk y{; &

150 (संख्या) – 147 (संख्या)

आवेदन पत्र के लिए यहाँ क्लिक करें ।

¼ Mh.d- ik.Ms; ½
mi lapkyd d`f"k] fdlku dY;k.k rFkk d`f"k fodkl foHkkx flouh

cht xke ;kstuk

;kstuk dk Lo:i &

कृषक स्तर पर उन्नत बीज उत्पादन तकनीक के प्रति जागरूकता, प्रशिक्षण तथा अद्योसंरचना की सहायता योजना।

ik=rk dh 'krZ &

चयनित ग्राम के समस्त पात्र कृशक।

;kstuk ds rgr ns; ykHk &

बीज – कृषकों को आधा एकड़ का बीज 50 प्रतिशत अनुदान पर दिया जाता है।

प्रशिक्षण – 100 कृषकों के ग्रुप पर 15000/–रूपये व्यय।

भंडारण कोठी –

अ – अ.जा./अ.ज.जा. के कृशकों को 33 प्रतिशत अधिकतम 3000 रू. अनुदान है।

ब – अन्य वर्ग के कृशकों को 25 प्रतिशत अधिकतम 2000 रू. अनुदान है।

;kstuk gsrq vkosnu dk rjhdk ,oa vko';d nLrkost &

कृषकों का चयन ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा किया जाकर सूची व.कृ.वि.अ. को प्रस्तुत की जाती है (संबंधित विकासखंड)।

xr o"kZ & bl o"kZ dk y{; &

440 हेक्ट. – 1231 हेक्ट.

¼ Mh.ds- ik.Ms; ½

mi lapkyd d`f"k] fdlku dY;k.k rFkk d`f"k fodkl foHkkx flouh

cSyxkM+h ;kstuk

;kstuk dk Lo:i &

सभी वर्ग के कृषकों को अनुदान पर बैलगाड़ी के लिये सहायता योजना।

ik=rk dh 'krsZ &

समस्त वर्ग के कृषक।

;kstuk ds rgr ns; ykHk &

सभी वर्ग के कृषकों को 50 प्रतिशत या अधिकतम 5000 रू. अनुदान दिया जाता है।

vkosnu fdls izLrqr djuk gS &

ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी/वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी (संबंधित विकासखंड)।

xro"kZ & blo"kZ dk y{; &

03 (संख्या) – 1 (संख्या)

¼ Mh.ds- ik.Ms; ½

mi lapkyd df"k] fdlku dY;k.k rFkk df"k fodkl foHkkx flouh

df"k ;=hdj.k

;kstuk dk Lo:i &

हस्त, बैल एवं शक्ति चलित कृषि यंत्रों पर अनुदान सहायता योजना।

ik=rk dh 'krsa &

समस्त श्रेणी के पात्र कृशक।

;kstuk ds rgr ns; ykHk &

हस्त, बैल एवं शक्ति चलित कृषि यंत्रों पर निम्नानुसार अनुदान देय होगा।

क्र.	कृषि यंत्र/मशीनरी	अनुदान की दर	रिमार्क
1	ट्रेक्टर	कीमत का 25ः अधिकतम रू. 45000/—	40 पी.टी.ओ. हार्सपावर तक के
2	पावर टिलर	कीमत का 40ः अधिकतम रू. 45000/—	8 बी.एच.पी. तथा ज्यादा के
3	स्वचलित मशीने	कीमत का 25ः अधिकतम रू. 40000/—	स्वचलित रीपर, पैडी ट्रांसप्लांटर एवं अन्य स्वचलित मशीनें
4	विशेष शक्ति चलित उपकरण	अ—कीमत का 25ः अधिकतम रू. 15000/—	पोटेटो प्लांटर, पोटेटो डिगर, ग्राउण्डनट डिगर, ट्रेक्टर चलित रीपर, क्लीनर कम ग्रेडर, मिनी राईस मिल, दाल मिल
		ब— कीमत का 40ः अधिकतम रू. 20000/—	जीरो—टिल—सीड—कम—फर्ट्रि.ड्रिल, रैज्ड वेड प्लांटर, रोटावेटर, स्ट्रा रीपर, क्राप रीपर, वेजिटेवल ट्रांसप्लांटर।
5	शक्ति चलित उपकरण (ट्रेक्टर/पावर टिलर चलित)	अ—कीमत का 25ः अधिकतम रू. 10000/—	एम.बी./डिस्क प्लाऊ, हैरा,कल्टीवेटर, सीड—कम—फर्ट्रि.ड्रिल (ट्रेक्टर चलित)
		ब— कीमत का 40ः अधिकतम रू. 20000/—	हैरो. कल्टीवेटर, सीड ड्रिल (पावर टिलर चलित)
6	हस्त चलित यंत्र/टूल्स	कीमत का 25ः अधिकतम रू. 2000/—	लोहे के हल, बख्खर, हैण्ड व्हील हो, हैण्ड हो, डोरा, दुफन, तिफन आदि
7	कोनोबीडर	कीमत का 50ः अधिकतम रू. 3000/—	प्रति कृषक
8	पौध संरक्षण यंत्र	कीमत का 25ः अधिकतम रू. 25000/—	एरो ब्लास्ट स्प्रेयर

;kstuk gsrq vkosnu dk rjhdk ,oa nLrkost &

निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र, बी—1, खसरा, नक्शा।

vkosnu fdlds iLrqr djuk gS &

ग्रा0 कृषि वि0 अधि0/वरि0 कृ0 विकास अधिकारी (संबंधित विकासखंड)।

xro"kZ & bl o"kZ dk y{; &

2043 (संख्या) — 1045 (संख्या)

आवेदन पत्र के लिए यहॉ क्लिक करें ।

¼ Mh.ds- ik.Ms; ½

mi lapkyd df"k] fdlku dY;k.k rFkk df"k fodkl foHkkx flouh

df"k foLrkj l/kkj dk;Øe ¼vkRek½

;kstuk dk Lo:i &

कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में नवीन तकनीकी हस्तांतरण द्वारा एकीकृत कृषि विकास कार्यक्रम में सहायता।

ik=rk dh 'krs &

सभी वर्ग के कृशक हेतु।

;kstuk ds rgr ns; ykHk &

कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में नवीन तकनीकी हस्तांतरण द्वारा एकीकृत कृषि विकास कार्यक्रम को गति देने हेतु विभिन्न गतिविधियों का निम्नानुसार समावेश किया गया है।

1. जिला स्तरीय कृषि प्रशिक्षण
2. ग्राम स्तरीय कृषक प्रशिक्षण
3. फसल प्रदर्शनों का आयोजन
4. अंतरजिला कृषक भ्रमण
5. अन्तर्राज्यीय कृषक भ्रमण,
6. कृषक रूचि समूह का गठन। इसके साथ ही योजना में उत्कृष्ट कृशक समूहों को पुरूस्कृत करना ।
7. जिला स्तरीय कृषक मेला/प्रदर्शनी का आयोजन/किसान संगोष्ठी का आयोजन आदि प्रमुख गतिविधियां है।

;kstuk gsrq vkosnu dh izfØ;k ,oa vko';d nLrkost &

योजनान्तर्गत संचालित गतिविधियों हेतु ग्रा.कृ.वि.अ./व.कृ.वि.अ. द्वारा कृषकों का चयन कर योजना का क्रियान्वयन किया जाता है (संबंधित विकासखंड)।।

xro"kZ & bl o"kZ dk y{; &

1030 (संख्या) – 400 (संख्या)

¼ Mh.d- ik.Ms; ½

mi lapkyd df"k] fdlku dY;k.k rFkk df"k fodkl foHkkx flouh

jk"Vh; [kk| lqj{kk fe'ku

;kstuk dk Lo:i &

सतत आधार पर उन्नत तकनीकी और कृषि प्रबंधन के प्रसारण से गेंहूँ एवं दलहन फसलों की उत्पादन–उत्पादकता बढाने हेतु सहायता योजना।

ik=rk dh 'krZ &

समस्त श्रेणी के पात्र कृषक।

;kstuk d rgr n; ykHk &

उन्नत पद्धति पैकेज का प्रदर्शन –	उन्नत बीज, संतुलित उर्वरक, पादप संरक्षण, खरपतवारनाशक, के लिये प्रति प्रदर्शन 2000 रूपये की सहायता 0.40 हे. का एक प्रदर्शन।
गेहूँ बीज प्रतिस्थापन अनुदान –	500 रू. प्रति क्विंटल।
गेहूँ आधार/प्रमाणित बीज उत्पादन –	300 रू. प्रति क्विंटल।
बीज मिनिकिटों का वितरण –	प्रत्येक 50 हे. क्षेत्र पर 5 कि.ग्रा. का एक बीज मिनिकिट निःशुल्क वितरण।
सूक्ष्म पोषक तत्वों हेतु प्रोत्साहन –	500 रू. प्रति हे. अथवा लागत के 50 प्रतिशत जो भी कम हो।
जिप्सम हेतु प्रोत्साहन (नमक प्रभावित मृदा)–	गेहूँ में 500 रू.,एवं दलहन में 750 रू. प्रति हे. या लागत का 50 प्रतिशत जो भी कम हो।
जीरो टिल सीड ड्रिल –	लागत के 50 प्रतिशत अथवा 15000 रूपये प्रति मशीन या जो भी कम हो।
रोटावेटर पर अनुदान –	लागत के 50 प्रतिशत अथवा 30000 रूपये प्रति मशीन या जो भी कम हो।
डीजल/विद्युत पंप सेटों के लिये प्रोत्साहन –	लागत के 50 प्रतिशत अथवा प्रति किसान प्रति पम्प सेट 10,000 रूपये या जो भी कम हो।
किसानों का प्रशिक्षण –	17000 रूपये प्रति प्रशिक्षण की दर से सहायता।
प्रजनक बीज की खरीदी दलहन –	5234 रू. या पूर्ण लागत यूनिफार्म रेट के रूप में ।
दलहन आधार/प्रमाणित बीज उत्पादन	10 रूपये प्रति कि.ग्रा. की सहायता।
दलहन बीज वितरण –	1200 रूपये प्रति क्विं. या लागत का 50 प्रतिशत या जो भी कम हो।
समकित कीट प्रबंधन ;ण्च्ण्डण्द्ध –	750 रूपये प्रति हे. या लागत का 50 प्रतिशत या जो भी कम हो।
स्प्रिंकलर सेट –	लागत के 50 प्रतिशत अथवा 7500 रूपये प्रति यंत्र या जो भी कम हो।
नेपसेक स्प्रियर –	लागत के 50 प्रतिशत अथवा 3000 रूपये प्रति यंत्र या जो भी कम हो।
मल्टीक्रॉप्प प्लान्टर –	लागत के 50 प्रतिशत अथवा 15000 रूपये प्रति यंत्र या जो भी कम हो।
सीड ड्रिल –	लागत के 50 प्रतिशत अथवा 15000 रूपये प्रति यंत्र या जो भी कम हो।
नाडेप –	लागत के 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 2000 रूपये प्रति नाडेप।
वर्मीकम्पोस्ट –	लागत के 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 500 रूपये प्रति वर्मीकम्पोस्ट।
पइपलाइन –	लागत के 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 15000 रूपये प्रति पाईपलाईन।
रैनगन –	लागत के 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 6000 रूपये प्रति मशीन।

;kstuk grq vkonu dk rjhdk ,o vko';d nLrkost &

अ स्प्रिंकलर, पाइपलाईन, रैनगन, डीजल पंप/विद्युत पंप, रोटावेटर, सीड ड्रील, जीरोटिल सीडड्रिल, मल्टीक्राप प्लान्टनर क्रय हेतु निर्धारित आवेदन पत्र के साथ बी–1, खसरा, नक्शा।

ब पौध संरक्षण यंत्र क्रय हेतु निर्धारित आवेदन पत्र।

स नाडेप वर्मीकम्पोस्ट निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र।

vkonu fdl iLrr djuk g &

ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी/वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी (संबंधित विकासखंड)।

¼ Mh.d- ik.M; ½

mi lpkyd df"k] fdlku dY;k.k rFkk df"k fodkl foHkkx flouh

xro"k@bl o"k dk y{; &

क्र.	विवरण	इकाई	लक्ष्य गतवर्ष	लक्ष्य इसवर्ष
1	प्रदर्शन	सं.	650	700
2	शक्ति चलित कृषि यंत्र	सं.	145	90
3	स्प्रिंकलर	सं.	500	50
4	पाइपलाईन	सं.	350	30
5	रैनगन	सं.	75	100
6	डीजल/विद्युत पंप	सं.	500	100
7	पौध संरक्षण यंत्र	सं.	1000	100
8	नाडेप	सं.	150	150
9	वर्मीकम्पोस्ट	सं.	680	200
10	फार्म फील्ड स्कूल ;थ्थ्थैद्ध	सं.	85	20

टीप—योजना क्र.—4, 6 एवं 14 में आवेदन पत्र संलग्न है।

gy/kj ;kstuk

;kstuk dk Lo:i &

छोटे एवं कमजोर कृषकों के खेतो की उत्पादकता बढ़ाने तथा वर्शा जल संग्रहण करने की दृष्टि से गहरी जुताई के लिये सहायता योजना।

ik=rk dh 'krs &

अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के सभी कृषकों तथा सामान्य वर्ग के लघु सीमांत कृषकों को शासकीय अथवा निजी ट्रेक्टर के माध्यम से गहरी जुताई करने हेतु आवेदन प्राप्त होने पर प्रथम आये प्रथम पाये के आधार पर लाभांवित किया जाता है।

;kstuk ds rgr ns; ykHk &

पात्र कृषकों को लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम रूपये 1000/–प्रति हेक्टेयर जो भी कम हो।

;kstuk gsrq vkosnu dk rjhdk ,oa vko';d nLrkost &

निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र के साथ खसरा नक्सा, बी–1।

vkosnu fdls iLrqr djuk gS &

ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी/वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी (संबंधित विकासखंड)।

xro"kZ & bl o"kZ dk y{; &

100 हेक्ट. – 1800 हेक्ट.

jk"Vh; —f"k fodkl ;kstuk

;kstuk dk Lo:i &

कषि कार्य में समस्त कृषि तकनीकी का उपयोग करते हुये उत्पादकता में 4 प्रतिशत की वृद्धि करने हेतु किसानों को सहायता।

ik=rk dh 'krs &

सभी पात्र कृषक ।

;kstuk ds rgr ns; ykHk &

1. बीज उत्पादन कार्यक्रम – बीज उत्पादन कार्यक्रम में 500/–रू. प्रति क्विंटल ।
2. बीज वितरण कार्यक्रम – कीमत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 100 रूपये प्रति क्विंटल।
3. हाई ब्रीड बीज वितरण (मक्का, धान, बाजरा, ज्वार) – कीमत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 2000 रूपये प्रति क्विंटल ।
4. बीज उपचार– जैविक पद्धति – कीमत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 100 रूपये प्रति हेक्टेयर है।
रासायनिक– कीमत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 100 रूपये प्रति हेक्टेयर है।

;kstuk grq vkosnu dk rjhdk ,oa mlds vko';d nLrkost &

कृषकों का चयन ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा किया जाकर सूची व.कृ.वि.अ. को प्रस्तुत की जाती है। (संबंधित विकासखंड)।

xro"kZ@bl o"kZ dk y{; &

क्र.	विवरण	इकाई	लक्ष्य गतवर्ष	लक्ष्य इसवर्ष
1	बीज उत्पादन वितरण, प्रजनक बीज खरीदी, हायब्रिड बीज वितरण	क्विं.	10100	–
2	वृहद्ध प्रदर्शन, आई.पी.एम. प्रदर्शन	हेक्ट.	2600	–
3	बीजोपचार, जैविक, रासायनिक, कल्चर वितरण	हेक्ट.	15080	–
4	वर्मी, नाडेप	सं.	314	–

टीप–योजना क्र.–4, 6 एवं 14 में आवेदन पत्र संलग्न है।

¼ Mh.d- ik.Ms; ½

mi lapkyd df"k] fdlku dY;k.k rFkk df"k fodkl foHkkx flouh

e[;ea=h d"kd thou dY;k.k ;kstuk

;kstuk dk Lo:i &

कृषि संबंधी या मंडी संबंधी कार्य करते समय दुर्घटना होने पर कृषको को सहायता।

ik=rk dh 'krs &

कृषि एवं मंडी संबंधी कार्य करते समय दुर्घटना होने पर 30 दिवस के अंदर आवेदन प्रस्तुत करना आवश्यक है।

;kstuk ds rgr ns; ykHk &

मृत्यु पर 50000 रू. या दुर्घटना में स्थायी अपंगता होने पर 25000 रूपयें, दुर्घटना में अंग–भंग होने से आंशिक अपंगता पर 7500 रूपये तथा अंत्येष्टी के लिये 2000 रूपये की आर्थिक सहायता दी जायेगी। कलेक्टर कार्यालय में आवेदन प्राप्त होने पर परीक्षण उपरांत राशि स्वीकृत होने पर राजस्व अधिकारियों के माध्यम से राशि का वितरण किया जावेगा'' योजनान्तर्गत राशि म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा जारी की जावेगी।

;kstuk gsrq vkosnu dk rjhdk ,oa vko';d nLrkost &

निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र चिकित्सक का प्रमाणपत्र, मृत्यु होने पर मृत्यु प्रमाणपत्र।

vkosnu fdls izLrqr djuk gS &

जिला कलेक्टर।

¼ Mh.ds- ik.Ms; ½